प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 13.03.2023

गाली देने, छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

विरष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधो की रोकथाम तथा अपराधियों के गिरफ्तरी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2023 धारा 354क,504,506 भादसं0 से सम्बन्धित अभियुक्त शहनवाज उर्फ मो0 अनस पुत्र स्व0 फिरोज निवासी रायगंज उत्तरी पाकड़ के पेड़ थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.11.2023 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर छेड़खानी के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2023 धारा 354क,504,506 भादसं0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शहनवाज उर्फ मो0 अनस पुत्र स्व0 फिरोज निवासी रायगंज उत्तरी पाकड़ के पेड़ थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2023 धारा 354क,504,506 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 शैलेन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी पाण्डेयहाता थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2. का0 प्रवीण कुमार राव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3. का0 संदीप कुमार चौहान थाना राजघाट जनपद गोरखपुर